संख्या एन-67015(3)/1/2022-बीएम अनुभाग

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(बी एम प्रभाग)

406, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 27, फरवरी, 2023

आदेश

विषय: ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल के गठन के संबंध में।

1. जबकि केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय करार ज्ञापन (MoA) पर भारत सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार (MP) और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार (UP) द्वारा 22.03.2021 को हस्ताक्षर किए गए थे ।

2. जबकि, भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में विशेष प्रयोजन वाहन यानी केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीA) के माध्यम से केंद्र और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से केबीएलपी के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

3. जबकि, भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना फाइल संख्या एन-67037/4/2018- बीएम दिनांक 09.02.2022 के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना को भारत सरकार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की संयुक्त परियोजना के रूप में लागू करने के लिए एक संचालन समिति (एससी) और केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) का गठन किया है।

4. जबकिविशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी), राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) और वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने केबीएलपी को सशर्त अनुमति देते समय, शमन रणनीति के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना (आईएलएमपी) तैयार करने की शर्त रखी थी और एनटीसीए द्वारा डब्ल्यूआईआई को 2018 में यूपी सरकार, एमपी सरकार एनटीसीए, राजविअ और डब्ल्यूआईआई के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से कार्य सौंपा गया था।

5. जबकि, डब्ल्यूआईआई ने 2018 से 2021 तक व्यापक क्षेत्र अध्ययन, डेटा संग्रह और अनुसंधान कार्य किया और बाघ संरक्षण, गिद्ध संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, सामुदायिक

जुड़ाव और एकीकृत प्रबंधन योजना के उपायों के साथ 02.06.2022 को आईएलएमपी पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

6. जबकि, केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति ने 20.07.2022 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में इस बात पर जोर दिया कि ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) के मार्गदर्शन में विभिन्न हितधारकों के माध्यम से आईएलएमपी को जल्द से जल्द कार्यान्वयन के लिए लिया जाना चाहिए और आईएलएमपी दस्तावेज एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य कर सकता है और जीपीएलसी की सिफारिश के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा आगे हस्तक्षेप किया जा सकता है।

7. **जीपीएलसी की संरचना निम्नानुसार होगी:**

क्र.सं.	**नाम**	**पद**
1.	मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वन), मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास), मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव (किसान कल्याण एवं कृषि विकास), मध्य प्रदेश	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (वन), उत्तर प्रदेश	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव (पीपी एंड आरडी), डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर, जल शक्ति मंत्रालय	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, एनटीसीए, एमओईएफ और सीसी या उनके नामिती आईजी के पद से नीचे नहीं	सदस्य
8.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान या उनके द्वारा नामित डब्ल्यूआईआई का एक वैज्ञानिक।	सदस्य
9.	वन महानिरीक्षक (वन्यजीव), एमओईएफ और सीसी	सदस्य
10.	सीईओ, केबीएलपीए, एमओजेएस	सदस्य
11.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और एचओएफ़एफ़, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
12.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश शासन	सदस्य
13.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
14.	आयुक्त, सागर संभाग, मध्य प्रदेश शासन	सदस्य

15.	जिला कलेक्टर और डीएम, पन्ना, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
16.	जिला कलेक्टर और डीएम, छतरपुर, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
17.	एकीकृत अनुसंधान और सीखने के प्रभारी केंद्र (आईआरएलसी) (पन्ना जिला, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाना प्रस्तावित)	सदस्य
18.	मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
19.	मुख्य वन संरक्षक , रीवा, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
20.	फील्ड डायरेक्टर, पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य सचिव

जीपीएलसी ऐसे अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को जीपीएलसी की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है, जो कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक हो सकता है। जीपीएलसी कार्य आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी सलाहकार समिति या किसी अन्य उप-समिति/निगरानी तंत्र का गठन कर सकता है और परिषद के अधिदेश को पूरा कर सकता है।

8. जीपीएलसी के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:
   क. लैंडस्केप में प्रमुख प्रजातियों जैसे बाघ, गिद्ध और घड़ियाल के लिए आवास की बेहतरी, सुरक्षा और प्रबंधन को सक्षम करना;
   ख. वन आश्रित समुदायों की स्थानिक प्राथमिकता और कल्याण के माध्यम से समग्र जैव विविधता संरक्षण के लिए परिदृश्य को समेकित करना और
   ग. फीडबैक लूप और अनुकूली प्रबंधन विकल्पों के साथ एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन संदर्भ के तहत प्रजाति विशिष्ट और साइट-विशिष्ट निगरानी रणनीति प्रदान करना।

9. जीपीएलसी के निम्नलिखित कार्य होंगे:
   i. ग्रेटर पन्ना के आईएलएमपी के समग्र कार्यान्वयन और केबीएलपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना की निगरानी;
   ii) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में फैले लगभग 47,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले आईएलएमपी के तहत प्रस्तावित हस्तक्षेपों की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो भूमि उपयोग या किसी क्षेत्र/घटक की कानूनी स्थिति में किसी परिवर्तन की सिफारिश करना;

iii) आईएलएमपी दस्तावेज की सिफारिशों के अनुसार किए जाने वाले हस्तक्षेपों/कार्यों की योजना को अंतिम रूप देना और प्राथमिकता देना और कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करना;

iv) कार्यान्वयन एजेंसियों की योजना की जांच और अनुमोदन करना और अपेक्षित निधियों के आवंटन की सिफारिश करना;

(v) आईएलएमपी और ईएमपी के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेपों की प्रगति और वांछित उद्देश्यों के प्रति उनकी प्रभावकारिता की समीक्षा करना और

vi) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट, पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की जांच और अनुमोदन करें।

10. जीपीएलसी के संबंध में वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार होगा:

i. जीपीएलसी के सचिवालय के सभी खर्च केबीएलपीए द्वारा वहन किए जाएंगे;

ii. केन-बेतवा लिंक लिंक से संबंधित पीटीआर क्षेत्र में आईएलएमपी के कार्यान्वयन में किया गया व्यय केबीएलपीए द्वारा वहन किया जाएगा;

iii. केन-बेतवा लिंक लिंक से संबंधित पीटीआर क्षेत्र को छोड़कर आईएलएमपी के कार्यान्वयन में किए गए व्यय का वहन केन्द्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दोनों राज्यों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

iv. संबंधित राज्यों में सृजित परिसम्पत्तियों का रख-रखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने बजट से किया जाएगा।

11. परिषद् की बैठक यथाशीघ्र, जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार होगी। आईएलएमपी के पूरा होने के बाद परिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

आनंद मोहन
संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी)

प्रति:-

ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल के सभी सदस्य

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार (ई-मेल: cs@mp.nic.in)
2. एसीएस/प्रमुख सचिव (वन), मध्य प्रदेश सरकार। (ई-मेल: acsforest@mp.gov.in)
3. एसीएस/प्रमुख सचिव (पंचायत और ग्रामीण विकास), मध्य प्रदेश सरकार। (ई-मेल: psprd@mp.gov.in)
4. एसीएस/प्रमुख सचिव (किसान कल्याण तथा कृषि विकास), मध्य प्रदेश। (ई-मेल: psagriculture@mp.gov.in)
5. एसीएस/प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश। (ई-मेल: pccf-up@nic.in)
6. संयुक्त सचिव (पीपी एंड आरडी), जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (ई-मेल: jsrd-dowr@gov.in)
7. सदस्य सचिव, एनटीसीए, एमओईएफ और सीसी या उनके नामिती आईजी के पद से नीचे नहीं हैं। (ई-मेल: ms-ntca@nic.in)
8. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान या उनके द्वारा नामित डब्ल्यूआईआई का एक वैज्ञानिक। (ईमेल: dmohan@wii.gov.in, dwii@wii.gov.in)
9. वन महानिरीक्षक (वन्यजीव), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (ई-मेल: igfwl-mef@nic.in)
10. सीईओ, केबीएलपीए, जल शक्ति मंत्रालय (ई-मेल: ceo-केबीएलपीa@gov.in)
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और एचओएफएफ, मध्य प्रदेश सरकार। (ई-मेल: pccfmp@mp.gov. injDccf.mp@mp.gov.in)
12. मुख्य वन्यजीव वार्डन, सरकार। मध्य प्रदेश। (ई-मेल: mptigerfoundation@mp.gov.in)
13. मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश। (ई-मेल: cwlwup@gmail.com)
14. आयुक्त, सागर, म.प्र. (ई-मेल: commsagar@nic.in)
15. जिला कलेक्टर और डीएम, पन्ना, म.प्र. । (ई-मेल: dmpanna@nic.in)
16. जिला कलेक्टर और डीएम, छतरपुर, म.प्र. । (ई-मेल: dmchhatarpur@mp.gov.in)
17. एकीकृत अनुसंधान और अध्ययन केंद्र के प्रभारी। (आईआरएलसी)
18. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर। (ई-मेल: ccf.ctr@mp.gov.in)
19. मुख्य वन संरक्षक, रीवा (ई-मेल: ccf.rwa@mp.gov.in)
20. फील्ड डायरेक्टर, पन्ना टाइगर रिजर्व। (ई-मेल: fdptr@rediffmail.com)

सूचनार्थ प्रति: -

1. सचिव के पीपीएस, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार।
2. सचिव के पीपीएस, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ।

3. मुख्य सचिव के पीपीएस उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
4. एसीएस, डब्ल्यूआरडी, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।
5. एसीएस, एल एंड डब्ल्यूआरडी, एमओजेएस, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
6. महानिदेशक, राजविअ, नई दिल्ली।
7. प्रधान सलाहकार (जल संसाधन), नीति आयोग, नई दिल्ली।
8. जेएस एंड एफए, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार।
9. संयुक्त सचिव (पीएफ-II), व्यय विभाग, नई दिल्ली।
10. एसजेसी -1 (बीएम), 207, ब्लॉक 3, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
11. मुख्य लेखा नियंत्रक, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
12. एसीईओ (मुख्यालय और पी), केबीएलपीए और मुख्य अभियंता(उ), राजविअ।